कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय –दूरभाष (07856) 252228, फैक्स–252305 निवास –(07856) 252439 **E-mail:**-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/क.त.अ./ 17143 दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 /12/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषयः– **Diversion of Forest Land for Non-Forest Purpose Under Forest Conservation Act,1980 proposed for 200 KV DCDS Jagdalpur-Barsoor transmission line. area - 70.782 Ha. Reg. पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/23475/2017**

संदर्भः–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /भू–प्रबंध /विद्युत/एल. एम. 479–159/2112 रायपुर दिनांक 07.07.2017
2. कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.रा.वि.पारे. कं.मर्या. कांकेर का पत्र क्रमांक/ 548 दिनांक 06.11.2017
3. वनमण्डलधिकारी वनमण्डल जगदलपुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./5994 जगदलपुर दिनांक 17.11. 2017

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, दंतेवाड़ा वनमण्डल, बस्तर वनमण्डल अन्तर्गत जगदलपुर से बारसूर विद्युत पारेषण 220 के.व्ही. लाईन निर्माण हेतु रकबा 70.782 हें. वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत संदर्भित पत्र – 1 के अनुसार पंजीयन आबंटन किया गया है।

अवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या.कांकेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जगदलपुर से बारसूर विद्युत पारेषण 220 के.व्ही. लाईन निर्माण हेतु निर्धारित चेक लिस्ट मे एकजाई प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	रकबा (हें. में)	लंबाई (कि.मी.)
1	दंतेवाड़ा	47.247	13.499
2	बस्तर	23.535	6.724
	योग :–	70.782	20.223

1. आवेदनकर्ता जगदलपुर से बारसूर विद्युत पारेषण 220 के.व्ही. लाईन निर्माण हेतु दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक – 1274, 1264, 1265, 1267, 1299, 1300, कुल रकबा 35.204 हें. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 12.043 हें. कुल रकबा 47.247 एवं बस्तर वनमण्डल अन्तर्गत राजस्व वन भूमि रकबा 23.534 हें. कुल रकबा 70.782 हें. मे वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है प्रस्तावित वन भूमि एवं उसके आस–पास के न्यूनतम 10 कि.मी. तक का वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र मे संलग्न है।

2. प्रस्तावित व्यपवर्तित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे उपरान्त जिओ को–ऑडिनेट KML Shape file संलग्न है।
3. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव मे शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क राशि 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 23000/– कुल राशि रूपये 29000/– जमा किया गया है, जिसे पी.डी. खाते मे जमा किया गया है।
4. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित अनुभाग स्तरीय समिति का प्रमाण पत्र संलग्न है।
5. प्रकरण मे परिक्षेत्र गीदम अन्तर्गत कक्ष क्रमांक – 1329 रकबा – 50.00 हें., पी. – 1351 रकबा – 17.00 हें., परिक्षेत्र बचेली अन्तर्गत कक्ष क्रमांक – पी. 1716 रकबा – 25.00 हें., पी. 1732 रकबा – 15.00 हें. एवं दंतेवाड़ा परिक्षेत्र अन्तर्गत कक्ष क्रमांक – पी. 1390 रकबा – 35.00 हें. कुल रकबा – 142.00 हें. क्षेत्र मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। जिसका डी.जी.पी.एस. सर्वे सेफ फाईल एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। तथा आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक धन राशि जमा करने बावत् प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. प्रस्तावित क्षेत्र मे खडे वृक्षो का विवरण एवं विदोहन योजना तथा Cost Benifit Analysis संलग्न है।
7. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना मे आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किया गया है।
8. प्रस्तावित गैर वानिकी प्रकरण हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. प्रकरण मे आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्याशा मूल्य जमा करने हेतु वचन पत्र संलग्न है।
10. प्रकरण मे दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक – 1274, 1264, 1265, 1267, 1299, 1300, कुल रकबा 35.204 हें. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 12.043 हें. कुल रकबा 47.247 एवं बस्तर वनमण्डल अन्तर्गत राजस्व वन भूमि रकबा 23.534 हें. कुल रकबा 70.782 हें.वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का फार्म 'ए' व फार्म 'बी' पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेब साईट पर अपलोड कर प्रमाण पत्र संलग्न है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिंद्वान्तो के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 05 प्रतियों मे संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अनुरोध है।

संलग्न :– **प्रस्ताव 05 सेट में।**

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

पृ.क्रमांक/क.त.अ./ 17144 **दन्तेवाड़ा, दिनांक** 6 **/12/2017**

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.रा.वि.पारे. कं.मर्या. कांकेर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा